

फर्द अहकाम

सुवालाल

बनाम

रामनारायण वगै०

न्यायालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं० 12/2023

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14.02.2023	<p>अधिवक्ता श्री इलियास बाबू रंगरेज द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को पाबंद कराने तथा खातेदारी भूमि के उपयोग—उपभोग/निर्माण में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने बाबत् निवेदन किया गया।</p> <p>बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं शपथ पत्र प्रार्थी से संतुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कि जाती है कि आगामी तारीख पेशी तक विवादग्रस्त आराजी खसरा नं० 668 रकबा 0.0126 है० तथा खसरा नं० 669 रकबा 1.3277 वाके ग्राम कालख तह० जोबनेर जिला जयपुर जिला जयपुर राज० की वादग्रस्त भूमि के उपयोग—उपभोग/निर्माण में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि० एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.03.2023 को पेश हो।</p>	
	29/3/23	<p>पत्रावली पेश हुई। नोटिस लोकर एतन्न नहीं हुए हैं। पत्रावली काहे इन्तजार नोटिस दिनांक 29/3/23 को पेश हो।</p>	
	5/4/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगणकी तलबी हेतु पुनः सम्मन तलबाना पेश होने पर जरिये Regd. No. जारी होकर पत्रावली दिनांक 12/4/23 को पेश हो।</p>	

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं० / 2023

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12/4/23	<p>पडावली पैरा हुडी द्वाचिपत्राद्वारा उपखण्ड प्रशासक जी लजिल पैरा नदी डिग्री के आगामी 15 दिवस में समान लजिल पैरा के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही आगामी के लार्ड जर्जेस पडावली दिनांक 12/4/23 के पैरा दो</p>	
	17/4/23	<p>पडावली पैरा हुडी स एच एच सी के अन्तर्गत कार्य एवं उनके द्वाचिपत्रा की समुपस्थिति के कारण वारी का राह आदेश न सिफ उ में स्थापित किया जाने के कारण दस्तावेज प्रकृत भी आदेश न सिफ उ में स्थापित किया जा रहा है</p> <p>पडावली के अन्तर्गत शुक्रत होकर गभर ले कर होकर द्वाचिपत्रा प्रकृत हो</p>	